अध्याय-८
अधिकौष की कार्यप्रणाली
के संदर्भ में विभिन्न वर्गों के
विचार।
कर्मवारी वर्ग के विचार
कर्मवारी वर्ग के सुभाव
प्रबन्धविधि वर्ग के विचार
प्रबन्धविधि वर्ग के सुभाव
dितग्राही एवं अंत्रारी वर्ग के विचार
dितग्राही एवं अंत्रारी वर्ग के सुभाव
जनप्रतिनिधि वर्ग के विचार
जनप्रतिनिधि वर्ग के सुभाव
प्रशासक वर्ग के विचार
प्रशासक वर्ग के सुभाव
अधिकोष की कार्यप्राप्ति के संदर्भ में विभिन्न कर्म के विचार :-

फिली भी संस्था की सफलता के मूल्यांकन हेतु संस्था ते
संबंध विभिन्न कर्म के विचारों का खान होना अत्यधिक रहता है।
संबंध वर्ग संस्था के दिन प्रतिविदित के कार्यों, नौकरियों एवं
प्रक्रियाओं ते पुटें रहते हैं, व्यवहारिक स्पष्ट संस्था की समस्याओं व
कठिनाइयों का तामाम करते हैं अतः इन कर्मकर्ताओं को जानने
हेतु विभिन्न वर्ग के सदस्यों के प्रतिक्षा तथा सम्प्रभु स्थापित किया
गया एवं इन वर्गों के विचारांत्यात किये गये हैं।
संकलित विचारों को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत स्पष्ट किया
गया है :-

9.1 कर्मचारी कर्म के विचार
9.2 प्रशंसक वर्ग के विचार
9.3 रिपुगणों एवं आंदोलनारों के विचार
9.4 जन प्रतिनिधि वर्ग के विचार
9.5 प्रशासक वर्ग के विचार
9.6 कर्मचारी कर्म के विचार :-

कर्मचारी फिली भी संस्था के संज्ञाय संस्था होते हैं जो कि
संस्था की नितियों-योजनाओं को क्रियान्वित करने में अत्यं भूमिका
अदा करते हैं।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कर्मचारी अधिकोष
के अधिकार एवं व्यक्ति जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से महत्वपूर्ण
परिपत्र की नहीं होते अपितू उन्हें सम्पर्कता भी करते हैं।

विभिन्न कर्मचारियों ते व्यक्तिगत स्पष्ट से सम्पर्क करने के बाद
उनसे पुरापुर स्पष्ट विचारों को संकलित करने पर भूमि पिचास अधिकोष की
कार्य प्राप्ती के संदर्भ में निम्न विचार संकलित हुए हैं:-
10. भूमि पिचास अधिकोष का कार्य तो वाणिज्यिक मैचेस की मांग हृष
वितरण एवं श्रेण की चूंक बनाना है किमु वार्षिक बैंक की 
भारतीय भूमि की प्रजात अधिकृत जनता में निगम जमा स्वीकार

2. श्रेण प्रकारों में जिला भूमि विकास अधिकृत द्वारा श्रेण
पुष्टिका जज्ञास का विषयों जमोन का नक्सा खतरा?
बांधता बांधता ताल का इतिहास भाषण की -। पटवारी या तहसीलदार
के रिकार्ड के नक़लः पांच स्थायी के स्टांड पर भाषण, पत्र तालिका
का बोलनः दो जमोनों के बीच में सड़क के नीचे पारा डालने
हुए तहसीलदार का अनापात प्रमाण पत्र। बैंक से अनापात
प्रमाण पत्र हेतु है ज्ञान मुखियाँ जाते हैं।
लेके पत्रात्त भी भूमि विकास अधिकृत के शाखा विकास को श्रेण
प्रदान तकाल स्वीकृत कर श्रेण वितरण का अधिकृत नहीं दिया
गया है।

3. अधिकृत के कार्य को संयमित करने हेतु बी-एस-ती
कृष्ण एवं बी.ई. के अधिकृत पाल उम्मीदवारों को नियुक्ति
देने के मशीन प्राप्त करवाई नहीं किये गये हैं प्राप्तकः तकनीक की पद्धतियों
पर भी निर्धारण गैर तकनीकी अधिकृतों द्वारा लिये जाते हैं।

4. कृषकों को कृषि यंत्र बिक्री करने के प्रचार इन यंत्रों के उपयोग
उनकी महत्ता रख रखने के संदर्भ में आवश्यक तकनीकी जानकारी
एवं तलाश हेतु को व्यवस्था अधिकृत द्वारा नहीं की गयी है।

5. कृषकों को ग्रामीण रंग पर श्रेण को जमा करने के संदर्भ में
आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु सम्पूर्ण प्रशासन प्रांत पर
अभाव है। भूमि विकास अधिकृत की शाखाएँ सामान्यतः विकास
खण्ड एवं तहसील क्षेत्र पर कार्यरत है अतः तेज़ वोटों के कृषक
इस बैंक के कार्यों से लगभग अमरिकत है।

6. बैंक के कार्यों में जिला, तहसील एवं विकास खण्ड क्षेत्र के
राजनितिक्षों द्वारा इस्ते्शक किया जाता है। संवादक मंडल के पुनाव एवं अध्यक्ष के पुनाव में राजनितिक्षों फिलोक रूपिे लेते हैं। राजनितिक्षों की विकार द्वारा अधिकृष्ट के कार्य एवं नीतियों को प्रभावित करती है।

7. शृण्ण वितरण अधिकारी एवं शृण्ण चुप्पी अधिकारी तथा कर्मचारी अंग-अंग होते हैं अन्य शब्दों में यदि शृण्ण वितरण विकार का कार्य संवादलै असंभोग पूर्द्र होने का प्रभाव शृण्ण कुली विकार के कार्य पर पड़ना अवकाशका है।

8. जिला भूमि विकास अधिकृष्ट नाबार्ड द्वारा अनुसारित शृण्ण विपादनों के लिए कृषि शृण्ण उपलब्ध कराने है। शृण्ण वितरण शृण्ण कुली एवं व्याज दर के संबंध में नाबार्ड के निर्धारण का पालन किया जाता है अद्भुत स्थिति में जिला भूमि विकास अधिकृष्ट एवं राजदूत कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (शृण्णौं) के मध्य राज्य स्तरीय भूमि विकास बैंक की उपाधिकरण अनुसारके प्रौढ़ होती है।

9. जिला भूमि विकास अधिकृष्ट में प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक पद पर राज्य स्तरीय भूमि विकास अधिकृष्ट द्वारा संबंधित अधिकारी नियुक्त किये जाते है। इन अधिकारियों के एक जिले से अन्य जिलों में स्थानान्तरित भी राज्य स्तरीय भूमि विकास अधिकृष्ट द्वारा किये जाते हैं पूर्वाभास स्थायिक उच्च पद पर जिला स्तर के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की जाती है।

10. नाबार्ड द्वारा जिला दर पर शृण्ण राज्य स्तरीय भूमि विकास अधिकृष्ट को उपलब्ध कराया जाता है उसमें राज्य स्तरीय भूमि विकास बैंक द्वारा कुक व्याज मार्गिन जोड़कर जिला भूमि विकास अधिकृष्ट को वित्त पुरुषार किया जाता है जिससे जिला अधिकृष्ट को प्राप्त व्याज को प्रमाण देने की आदेश दी जाती है। जबकि शृण्ण वितरण शृण्ण कुली बैंक का प्रबंध आदेश से सम्बंधित तभी कार्य जिला भूमि विकास अधिकृष्ट
द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

11. कृषि विकास बन में आलोचना नव वालातीत वर्ष का फिकात वनावतार बढ़ता जा रहा है कारण भूमि विकास अधिकोष को वर्ष अनुसार देयू न्यायिक अधिकार. का प्राप्त न होना है। तथापि दिवालियों के क्रिया प्राप्त विकास के निक्षिप्त में आये वालों व्यवहारिक कारणों को भी है।

कर्मचारी कर्म के समाचारः

कर्मचारी कर्म भूमि विकास अधिकोष के दिन प्रतिदिन के कार्यालय त्रि प्रतिस्थ पर पूर्व रत्न रत्न दिन रत्न के सुझाव संबंधित किये गये है। जिससे भूमि विकास अधिकोष द्वारा रवाना जा रही बैंकिंग सेवा में हुआर किया जा सके जिससे अधिकोष स्थापित करने के उद्देश्य पूर्ण हो सके।

कर्मचारियों द्वारा दिये गए सुझाव सम्मानित किएः

1. भूमि विकास अधिकोष को वाणिज्यिक बैंकों की भांति जनाता ते नगद जमा रखी स्वीकार करना चाहिए। इससे अधिकोष को कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध होगा।

2. भूमि विकास अधिकोष को श्रम आयेदान पत्र के साथ श्रम पृष्ठिका तथा अन्य बैंकों का अनापरात प्रामाण पत्र ही आयेदानों से मांगना चाहिए। जिससे कृषकों को श्रम आयेदान करने में होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकेगा।

3. भूमि विकास अधिकोष के शाखा ग्राम-ग्रामों को श्रम स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त किये जायः जिससे कृषकों को शीघ्रता से श्रम प्राप्त हो सकेगा।
4. भूमि विकास अधिकोष द्वारा अधिकोष में तकनीकी पहलुओं पर निर्धारण लेने तकनीकी योग्यता एवं अनुभव रखने वाले सदस्यों को नियुक्त करना चाहिए। जिनसे तकनीकी स्तर और निर्माण ठीक टंगे है जा तो। भूमि विकास अधिकोष में बी.ई. मैकेनिकल, एवं बी.एस. ती. भूमि योग्यता रखने वाले सदस्यों को नियुक्त किया जाना चाहिए।

5. रित्सचारियों को कृषि वैश्विक ट्रैक्टर आदि क्रय करने के बाद रख रखाव एवं मरम्मत हेतु तलाश तथा तृप्तिका देने की ज्वल्लता भूमि विकास अधिकोष द्वारा की जाना चाहिए। इस हेतु तकनीकी प्रकृष्ट फिल्म रूपरेत पर गलित किया जाना चाहिए।

6. भूमि विकास अधिकोष को प्रधार प्रस्ताव बढ़ाना चाहिए। प्रधार अभियान में अधिकोष द्वारा स्वीकृत की जाने वाली रण योजनाओं, थान दार, अनुदान की जानकारी दी जानी चाहिए। रबी तथा खरीफ की पतल पकने के मौसम में कृषि हेतु प्रधार प्रस्ताव कर क़ुमक्षों को रण वापसी हेतु प्रस्तावित करना चाहिए।

7. भूमि विकास अधिकोष में राजनीतिक हस्तक्षेप कम करने हेतु सरकारी प्रतिनिधियों संघालों को तत्कालीन करने का अभियार प्रदान किया जाना चाहिए। जब, विधान सदन सदस्यों द्वारा संबंधी रणदेश हेतु प्रयागशी बनने से रोकने हेतु अधिकोष की उपस्थितियाँ में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसे संवाद में प्रयागशी द्वारा लिए गए निर्णय राजनीतिक विधायकांका से प्रभावित नहीं होगी एवं निर्णय अधिकोष तथा क़ुमक्षों के लिए ही लिए जाएगी।

8. रण वितरण एवं कृषि कार्य में तालमेल स्थापित करने हेतु रण विधायक एवं कृषि विधायक के अधिकारियों की मीटिंग प्रारंभिक अन्तरात्मि से होनी चाहिए। जिसके रण वितरण के प्रचार कवील के कार्य को क़ुशलतापूर्वक समाप्त किया जा सके।
9. जिला भूमि विकास अधिकोष पर संघ नाबाड़ का निर्माण होना चाहिए जिससे राज्यीय कृषि एवं ग्रामीण विकास केंद्र नाबाड़ी से जिला भूमि विकास अधिकोष का तीव्रता सम्पर्क रहे एवं राज्य स्तरीय अधिकोष द्वारा व्यावहारिक दर में को जाने वाली वृद्धि से करा जा सकें।

10. जिला भूमि विकास अधिकोष के कर्मचारियों की कार्यक्रमालता में वृद्धि करने हेतु उच्च पदों को पदोन्नति से भरा जाये। जिला तर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पदोन्नति कर महाप्रबंधक एवं तहसील प्रबंधक खेल पद मिलने से वे मगर परिषद से कार्य करने को मनारित होंगे।

11. कर्मनाम में जिला अधिकोष को क्षय चितरण तथा क्षयी तंबरितक तभी कार्य करने पड़ते हैं इसलिए व्यवस्था की जाने चारी राशि का 1/3 मांग राज्य स्तरीय भूमि विकास अधिकोष को चलन करना यातिष्ठे क्योंकि नाबाड़ी द्वारा दिये गये क्षय पर व्यावहारिक दर में अतिरिक्त व्यावहारिक दर जोड़कर योग्य के हेतु जिला राज्य स्तरीय अधिकोष को क्षय तृप्तिका प्रदान करता है।

12. क्षय धरीनी पुरात्तों की व्यापक कार्यवाही में तेजी लाने हेतु विविध न्यायालय का धारण तंगान स्तर पर करने हेतु राज्य तरकार से मांग की जाना चाहिए। भूमि को वृक्ष रूप डिजिटल आदेश के परिपालन हेतु तथाकात न-नाबाड़ी पथों तथा तपस्यित के व्य-विक्षय करने वाले दलालों की तेजी की जाना चाहिए।

9.2 प्रबंधक व्यक्ति के बिरात

प्रबंधक किलो संबंधान की यह कार्य होती है जो व्यक्ति के संबंधान में उपलब्ध तंगनों के सुधित प्रयोग से संबंधान के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।

प्रबंधक व्यक्ति का कुछ कार्य भूमि विकास अधिकोष की अपलेखितों,
राज्य स्तरीय भूमि विकास अधिकोष, नाबाई तथा पंजीयन सहकारी तत्त्वतितियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिला भूमि विकास अधिकोष को तैयार रखना है।

प्रबंधक अधिकोष के अनुसार, राज्य घरेलू परिवेश एवं नीति निर्देश तथा नियुक्ति के प्रमाण लापेएुड़े रखते है अतः प्रबंधक वर्ग के अधिकोष को कार्यरतात्विक के तत्त्वसे बिजलित विषय ग्रहण है।

प्रबंधक वर्ग के विचार निम्न हैं:-

1. जिला भूमि विकास अधिकोष के महाप्रबंधक, तदाधिकारिक प्रबंधक भरो राज्य तहतराय भूमि विकास अधिकोष व्यापार नियुक्ति संख्या पार्करेड़् वर्ग के अधिकारी होते हैं जिन्हें निर्देश की स्थायीत्व परिस्थितियों, स्थायीत्व के रूपांतरण, एवं भक्ति आदि का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है।

2. तत्त्व अधिकारी 2-3 वर्ग के लिए एक नियम के भूमि विकास अधिकोष के सदाप्रबंधक सदाधिकार युक्ति विषय लापेएुड़े जिले अर्थात इस अधिकारी में स्थायीत्व धार्मिकताओं से जिले हो पारिष्ठोत होते हैं फिर उनका लाबांतरण अन्य नियम के भूमि विकास अधिकोष में शीर्ष बैंक व्यापार कर दिया जाता है।

3. प्रबंधक के विचार में जिला भूमि विकास अधिकोष के अधिकारीयों के तत्त्व धार्मिक अधिकारी का आबाद है परिणामस्वरूप राष्ट्र वितरण में देशी होती है। राष्ट्र स्वोक्ति का अधिकारलंबक नियुक्ति व्यापार ग्रहण राष्ट्रीयता को होता है। अतः भाषा प्रवंशक व्यापार अन्नप्रिा राष्ट्र प्रकरण पर राष्ट्र स्वोक्ति होगा अथवा नहीं अनिवार्य रहता है।

4. भूमि विकास अधिकोष में वाडन की कमी तथा जिला मुख्यालय ते कृषियों के खेतों की अन्यरूप दूरी के कारण प्रवंशक वर्ग व्यापार परिवेश का कार्य निपटाई ले नहीं होता है।
5. जिला मुख्य विकास अधिकोष को श्रेण पर उपलब्ध ब्याज
   पर ने भारतीय अध्ययन द्वारा जाने के संबंधी स्थापना व्यय लगातार शुद्ध रूप से हो। 
   देशभर में के कारण कर्मचारियों को भुगतान बढ़ाने वाले वेतन 
   तथा महत्त्व के लागत वहीं इन अंतर्गत श्रेणी अधिकोष का रूप स्थापना व्यय 
   करने की संभाग का उपलब्धिका होता जाता है।

6. जिला मुख्य विकास अधिकोष के विनियम स्त्रोत सीमित है अतः 
   कर्मचारियों को उच्च वेतन तथा आक्षेपक भुगतान दिया जाना संभव नहीं 
   होता है। इसलिए, शुद्ध व्यय एवं प्रशिक्षण कर्मचारियों अधिकोष की तथा/ 
   योजनाएं अनुच्छेद जो जाते है। अथवा सामान्यतः कर्मचारी कार्यों के प्रति 
   उदात्तता रहती है।

7. श्रेण संस्थित योजनों को स्वीकृत कर शाखाओं के माध्यम से श्रेण 
   वितरित करने की है। जिला श्रेण प्रकरणों के आधार पर जिला मुख्य विकास 
   अधिकोष राज्य स्तरीय मुख्य विकास अधिकोष से पूर्वसूचित ग्रहण करता 
   है। कभी-कभी शीर्ष केंद्र शदारा श्रेण प्रकरण में तकनीकी कमियां बताकर 
   प्रकरण धारत जिला केंद्र को में दिए जाते हैं सभी स्थिति में जिला केंद्र 
   का चित्त व्यस्तता अलग होने लगती है।

8. जिला मुख्य विकास अधिकोष नगद निकृष्ट स्वीकार नहीं कर लेता 
   है। अतः जिला अधिकोष के विनियम स्त्रोत सीमित रहते हैं विनियम की 
   कारण जिला मुख्य विकास अधिकोष के धार धार अन्य मुख्यों के 
   उच्च धारण दर पर अधिकारकेंद्र लेना पड़ता है।

9. तत्परता एवं सुरक्षा श्रेण संस्थित, नायकों व्यवस्था योजनाओं अन्य 
   योजनाओं के अतिरिक्त कितरे अन्य श्रेणी योजना हेतु श्रेण वितरित 
   करना वाले हैं। इस नई श्रेण योजना हेतु नायकों के तथोकृत आधार 
   दी जाती है। इस प्रश्नात्मक गोपूर राज्य स्तरों मुखिय विकास अधिकोष 
   के माध्यम से नायकों के प्रश्न उचित होता है इस नई श्रेण योजनाओं को
स्वीकृत प्रदान करने में नाबालिग व्यक्ति 2-3 वर्ष को अवधि लग जाती है जबकि कभी साल-बाल क्षेत्र में प्रयास इन नए उद्देश्यों के लिए शिक्षा कार्य को हो जाता है। तर्क योजना को नाबालिग व्यक्ति अस्तव्यस्त कर दिया जाता है।

10. कुंवर, त्रेक्टर तथा तेलर के लिए शीर्ष बैंक व्यक्ति मार्किन एवं वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं इस लक्ष्य से ज्यादा अन्य प्रकारों का स्वीकृति जिला भूमि विकास अधिकोष व्यक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं।

11. राजनीतिक पौयाना के भूमि विकास अधिकोष के धूमी कार्य को नाबालिग लगभग तक प्रभावित किया है। अनुसंधान जानकारी के लिए कृत्रिम अनुसंधान पर भाग और पूर्वसूचना का आवश्यकता ने भी अधिकोष की धूमी को प्रभावित किया है।

12. भूमि विकास अधिकोष केवल दीर्घकाल के लिए कृत्रिम वित्त उपलब्ध कराता है विभिन्न क्षेत्रों में रुपरेखा पर चेंज अन्य अल्पकालीन विभिन्न श्रेणी की भी आवश्यकता होती है। केवल दीर्घकालीन विभिन्न उपलब्ध कराने की क्षमता के कारण भूमि विकास अधिकोष का विकास वह ता गया है।

13. स्थानीय राजनीतिक संयुक्तक का युवा लक्ष्य संयुक्तक बन जाता है ताकि नया संयुक्तक संयुक्तक की संयुक्तक लक्ष्य अन्य लक्ष्य पुनों जाते हैं। तंत्रज्ञान अन्य संयुक्त अन्य जलविकल्प का भी पुनक दोनों हैं अन्य क्रिया को स्वीकृति एवं अन्य कार्य का निर्देशन राजनीतिक है। स्वीकार धारा में प्रभावित होता है। राजनीतिक श्रेणी शूलिका को भी नाबालिग लगभग प्रभावित करते हैं।

14. अधिकारियों का अन्य अन्य क्रियाप्रक्रियाओं के कारण भूमि विकास अधि- कोष को तेलर वित्त पुनर्प्राप्त तंत्र तक प्रभावित हुई है। एक तेलर, प्रकार के अन्य क्रियाप्रक्रिया का अधिकार राजनीतिक भूमि विकास बैंक को है। इसी स्थिति में राजनीतिक श्रेणी जिला अधिकोष, जिला अधिकोष से शीर्ष बैंक तक प्रकार प्रेरित
5. फ़िला भूमि विकास अधिकोष को उपलब्ध व्याप्ति दर के मार्जिन में नृति का जाना यथार्थ तथा उन अवधारण के 5% वृत्तियाँ में 2% तक व्यापक व्याप्ति करने की अनुमति की अधिकोष को दी जाना यात्रियों।

6. कर्मचारियों एवं अधिकारियों को धारणित बैंक की भूमि विकास अधिकोष को अपने व्यापार का निषिद्ध होने से कोई आशंका नहीं होगी। अधिकारियों को वृद्धि की अनुमति दिये जाने से संबंधित: कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी।

7. फिला भूमि विकास अधिकोष व्यापार श्रेणी आदेशों की लुक्सम्बा ते जांच करने के बाद ही पुनर्निर्धारित शीर्ष बैंक को पुकारण अन्वेषित करने व्यवस्थित। शीर्ष के व्यापार उन पुकारण के आधार पर तथ्यात्मक विश्लेषण फिला भूमि विकास अधिकोष को प्रेरित करना यात्रियों। यदि श्रेणी पुकारण में कोई तकनीकी दृष्टि हो तो उसका सुधार बाद में किया जा रहा है।

8. फिला भूमि विकास के वित्तीय तरीकों में नृति के अन्तर्गत में स्थानीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्निर्धारित भूमि विकास अधिकोष की उपविभागों में परिवर्तन किया जाना यात्रियों। इससे वित्तीय तरीकों में नृति होगी तथा भूमि विकास अधिकोष लाभ अर्जित कर लेगी।

9. नवीन योजना निर्धारण का पुस्तलय तीर्थ राष्ट्रीय बैंक हेतु नामांकन से प्रेरित किया जाना यात्रियों तथा इसकी सुबूत तीर्थ जिला भूमि विकास अधिकोष को पहुँचा होनी चाहिए। इससे नवीन योजना स्थापित में करने वाले समय में कमी होगी।

10. सभी उद्देश्यों हेतु लक्ष्य निर्धारण के अधिकार जिला भूमि विकास अधिकोष को प्रदान किये जायें इससे अधिकोष राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार इस निर्धारण कर सकेगा।
11. राजनांतिक दलों व्यावसायिक कार्य माफी संबंधित घोषणा पर कार्यक्रम प्रतिबंध लगाया जायें, जमीन विक्रय संबंधित प्रतिबंधों को हटाने हेतु शासन से मांग की जानी चाहिए।

12. भूमि विक्राश अधिकृष्ठ व्यावसाय अत्यधिक मान्य को तथा मध्यममान्य को तख्त सूचित खाद्र, वैदिक द्वारा एवं बीज आदि हेतु प्रदान की जाना चाहिए। इससे कृष्क को एक ही अधिकृष्ठ हे तर हरे के रूप अपलब्ध हो लेकिन इसलिए एक ही वेक्किंग तथा का विस्तार होगा।

13. विभाग, संबंधी एवं तंत्र तद्दृष्टि के भूमि विक्राश अधिकृष्ठ के संबंध में हेतु आदेश अधिकृष्ठ तथा संबंधित घोषणा।

14. वार्षिक वृद्धि में वृद्धि तथा वेक्किंग तथा मुख्य हेतु अधिकारी का विघटन रोके रखा जाना चाहिए। शाखा तर हेतु प्रबंधक के अधिकारी शेष वृद्धि की जाना अत्यधिक है।

9.3 वित्ताधिकारियों एवं अंबाधिकारियों के दिनार:

वित्ताधिकारी के कृष्क है जिन्हें अधिकृष्ठ व्यावसायिक वृद्धि एवं कृष्क तड़क वार्षिक हेतु दोर्यालोक श्रेण प्रदान किया जाता है अथवा भूमि विक्राश अधिकृष्ठ से श्रेण ग्राहन करने वाला वर्ग वित्ताधिकारी वर्ग है।

श्रेण हेतु आदेश प्रस्तुत करते समय प्रत्येक आदेश का अधिकृष्ठ का अंबाधिकारी रोकना अत्यधिक है अत: कृष्क को श्रेण आदेश प्रस्तुत करते समय अधिकृष्ठ का अंबाधिकारी बनना पड़ता है।

इससे श्रेणी में वित्ताधिकारी और अंबाधिकारी एक ही वर्ग के व्यक्तियों के अलग अलग दो नाम है।

भूमि विक्राश अधिकृष्ठ वित्ताधिकारी वर्ग को कृष्क वित्त प्रतिबंध करते से उद्देश्य त्यो ही स्थापित किये गये है। इसी स्थिति मैं इस वर्ग के वित्ताधिकारी ने भी भाग्य की परिवर्तन इस बिना कोई नियमक नियमानुसार या
धारणाबनना पूर्णतः निराधार एवं तथ्यमीन होगा।

हिल्गादी एवं अंगाधारी वर्षे स्थलितकाल्य क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में जाकर गृह्यक्षेत्र सम्पर्क स्थापित किया गया एवं इसके विवरणों को संकलित किया गया।

इस वर्ष ते संकलित विवार निम्नलिखित हैं-

1. मूर्मिकिकास अधिक्रोष्ट च्यारा ंशण प्रदान करने की प्रक्रिया अवधार जंतुय है। श्रण इदु आयेदन प्रश ने साथ जमा किये जाने वाले प्रतिकः को एकमति करते करते लगभग 3-4 माह लं जाते हैं।

2. श्रण आयेदन अधिक्रोष्ट में देने के बाद भी शाखा मूर्मिकिकास अधिक्रोष्ट एवं ज़िला मूर्मिकिकास अधिक्रोष्ट के अंक चक्कर लगाने पहुँचे हैं श्रण पुकारण अल्पत्त थोपो मगत से आये बढ़ता है। कभी कभी श्रण स्वावलक्ष्य होकर प्राप्त होते तक श्रण को उपयोगिता ही समाप्त प्रायः हो जाती है।

3. मधुर राज्य तहवारो मूर्मिकिकास अधिक्रोष्ट च्यारा उद्देश्यकार युनिट कास्ट कुंकाल लागतकु निर्धारित कर दो गये हैं इस निर्धारित राशि के अंक राशि श्रण के वेतन में क्रिश्चन को प्राप्त नहीं हो सकती। कई चर व्यवस्था श्रण की राशि से क्रिश्चन का श्रण प्रयोजन पूर्ण नहीं हो पाता है। उपनिषद्य अप्याप्त श्रण के सहयोग की आशा करना बैंक के लिए व्यवह व्यस्त है। ऐसे क्लेत्तरों के मेडिनिट कास्ट कुंकाल लागत 8000/- है किन्तु बाजार में अच्छी बैंक जोड़ हो तथा गाइ ठी 10000 से 2000 में निकली है।

4. एक श्रण की पूर्ण यापती तक अधिक्रोष्ट च्यारा दूसरे उद्देश्य हेतु श्रण प्रदान नहीं किया जाता है अतः अन्य श्रण प्रयोजन हेतु किसी अन्य बैंक से क्रिश्चन को सम्पर्क करना पड़ता है। खासियतिक बैंक की श्रण
उपलब्ध कराने को प्रक्रिया तरल है अतः एक बार वाणिज्यक डेक के श्रेण प्राप्त करने के प्रयास करने पर ध्यान दें: श्रेण देखा वृक्ष भूमि विकास अधिकृष्ट जानना पतंजाद नहीं करते हैं।

5. अनुसूचित जाति यह अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सामान्यता: यह नहीं है कि उनकी भूमि का विक्रय अधिकृष्ट व्यापार शुरू जाना अत्याचार कठिन एवं वेतनदाता कार्य है। यह दर्शन श्रेण की वापसी करने के दिशा अत्याचार उदारता है। ये श्रेण वापस न रखने को अपनी भाषा रखते हैं।

6. भूमि विकास अधिकृष्ट के कर्मचारी श्रेण वितरण के प्रश्न अथवा इस उदासीनता व्यक्ति है। अनावश्यक वक्तव्य लगवाना कर्मचारियों की आदत हो गई है। सामान्यता: कुछ आर्थिक लाभ पहुंचाये बिना श्रेण प्राप्त करना अत्याचार कठिन कार्य है।

7. कनून, प्रत्यक्ष आदि की कोई विशेष गारंटी कृषकों को प्राप्त नहीं होती है। यकीन ब्रांड नाम के आधार पर ही इसे यकीन करना होता है। इन कृषि कृषि की मरम्मत, रख-रखाव तथा अन्य कल्पनाओं के संतुलन श्रेण कृषि को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कृषि की तरह अधिक, अधिक पर मरम्मत स्वच्छता का अमावश्य कृषि की पतल को प्रभावित करती है जिससे श्रेण की वापसी करना कठिन हो जाता है।

8. जिला भूमि विकास अधिकृष्ट श्रेण तो उपलब्ध करता है किन्तु पतल के विक्रय एवं संग्रहण में कोई मदद नहीं करता है, इसी स्थिति में अधिक उपज लीने पर भी कृषि की स्थिति में कोई विशेष तुलना नहीं हो जाता है।

9. कृषि को श्रेण आपूर्ति तैयार करने समय राजस्व अधिकारियों ने अपने प्रश्न प्राप्त कर जमा करना होता है। इतनी तरह क्षेत्र के तीन दायरों में नौ क्षेत्र प्राप्त व्य प्राप्त कर जिला भूमि विकास अधिकृष्ट हैं।
जबा करना होता है इस तरह आवेदन पत्र में लगाये जाने वाले प्रलेखों की प्राप्ति करने में कृप्या के समय तथा वन का अवधारण होता है। कभी-कभी प्रलेख इकट्ठा करने-करते बीच में ही श्रम लेने का किया जाता कृप्या तपास देता है।

10. जिला भूमि विकास अधिकोष के अंतों पर कृक्रों को कोई नाम, व्याय या अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त किया नहीं होता है।

11. शासन द्वारा श्रृंखला श्रम मुक्ति की घोषणा को जाती रहती है अतः यदि श्रम वापस न करेंगे तो शासन श्रम माफ़ हो जायेगा या नहीं तो कम से कम व्यायाम माफ़ हो ही नहीं रहता है।ऐसी घातणा कृष्टियों में रहती है।

12. जिला भूमि विकास अधिकोष एक श्रम के रहते दूसरे श्रम नहीं देता है, अर्थात श्रृंखला के विवाह में पुनः श्रम प्राप्त नहीं होगा। परिपात स्वयं श्रम अदायगी के प्रति उदासीन रहते है।

हितग्राहियों एवं अंश धारियों के तुझे वः-

हितग्राही वह वर्ग है जो भूमि विकास अंकित श्रम प्राप्त करता है दूसरे श्रवंद्रों में हितग्राही भूमि विकास अधिकोष के ग्राहक है, श्रृंखला को हितग्राही बनने से पूर्व आंशिक हत ते नाना आवश्यक है इस वर्ग को अधिकोष से श्रम प्राप्त करने एवं श्रम की दापती में क्षय-क्षय कठिनाइयाँ आती है 9 एवं कैसे इन कठिनाइयों को दूर किया जा लक्ष्य है। यह हितग्राही स्वयं ही स्पष्ट कर लक्ष्य है। अतः पूर्णता श्रवंद्र देता हितग्राहियों हूँ जो कि अधिकोष के अंशिक भी होते हैं। के तुझे वः के तुझे तुझे लक्ष्य किये गये हैं।

हितग्राही वर्ग द्वारा दिये गए तुझे निम्न है:-

भूमि विकास अधिकोष के श्रम आवेदन पत्र के साथ केवल श्रम पुरस्कार तथा अन्य बंधु श्रम का आवेदन श्रृंखला तथा अन्य बंधु श्रम का आवेदन कृप्या प्राप्त श्रम लगाने को अनिवार्यता दिये गये हैं, इससे पूर्व श्रम से भरा हुआ आवेदन पत्र
प्रस्तुत करने में कृषकों को क्रम समय लगेगा एवं श्रण प्राप्ति शीघ्रता से होगी।

2. मूमिन विकास अधिकोष के शाखा पूर्वस्थान को श्रण स्वीकृति करने के अधिकार दिइये जाये। श्रण आचरण पत्र प्रस्तुत करने के बाद निर्धारित समय तीमा में अनिवार्य: श्रण आचरणाओं पर कार्यवाही की जाये। इसलिए कृषक मूमिन विकास अधिकोष के योजना लगाने से बड़ा जानिया। एवं उसे समय पर श्रण प्राप्त हो सकेगा।

3. इसके लागत का निर्धारण बाजार उपस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए क्योंकि अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने में उत्तेजक अवसर का कृषक प्रायः असाध्य रहते हैं। इसलिए कृषक बाजारविद्या लगा संयोग में श्रण लाभनिर्मित होगी।

4. यदि कृषक नियमित अवसर तक फिरते हैं उस समय के रखते हैं तभी श्रण की स्वीकृति दिया जानी चाहिए इसलिए कृषकों का मूमिन विकास अधिकोष के प्रति विकास बढ़ा कर श्रण विकास अधिकोष के अधिक गुणधर्म के समय पर फिरते हैं।

5. मूमिन के विक्रय पर तारी लगे प्रतिबंध को हटाने हेतु शासन से मांग को जानी चाहिए। अनुमानित जनजाति/जनजाति के कारण विद्वानों को मूमिन विक्रय के लिए जिला या जनजाति के अनुमान प्राप्त कर मूमिन विक्रय हेतु कृषि का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि विक्रय समय न हो तो ऐसी मूमिन का अधिकोष अपने कदमों में लेकर अधिकार उत्पत्ति या उचित फिराये पर अन्य कृषिकों को देने की नीति बनाए। इसलिए दृष्टि में तुम्हारा होगा शविभागिताओं की मनोज्ञाता में भी परिवर्तन होगा।

6. निर्णयों तय करने में अनिवार्य स्थिति से पूर्ण भरे हुए श्रण आचरणाओं को स्वीकृति प्रदान की जाना चाहिए। इसलिए आर्थिक मुद्दों के लिए में समय प्रस्तुत होगा।

7. नक्सल तेलहल परम्परा में कृषि पदार्थों के रखरखाव तथा उपयोग
हेतु मार्गदर्शन के लिए भूमि दिखात अभिकोष को तनावी पूरकोष गठित करना पाठिए । बृक्ष यथा के अवश्य किर्ति [अधोराज्ञ हीन] ते यथा के एक राजाय तबेंद्री तेवा हेतु उत्सुक विषय पा तहता हैं किसते हि बुक्षों को कम्योके के अनुमान इन्जीनियरों को तेवा विषय देखी इलाव एवं बुक्ष के यथा गतिमान रहेंगे ।

8. भूमि दिखात अभिकोष के उपविधायों को तत्कालिता विनाश के तत्पर ते वामी देवम तहता तहतारी बृक्ष दिखात तामिलियों गठित करवाना वापिस इसते-बुक्षों का उपचार का सही मूल्य प्राप्त होगा तहती मूल्य निकालने पर निर्णयरत: भूमि दिखात अभिकोष की विधि का तय पर मूल्यांकन कर रहेंगे।

9. राजनेता विनाश के उपविधायों एवं उपविधायों के यथा लगाने ते बुक्षों का कदाचारे हेतु विनाश भूमि दिखात अभिकोष के उपविधायों को विनाशित के विकास विशेष बुक्षों की उप-पुरस्कर्ता पूर्ण करवाने हेतु प्रयास करने पाठिए। देता के उपचार बेचने ते श्रेय पुरस्कर्ता यथा [वो दूसरे टेक्निकेट] भी भूमि दिखात अभिकोष की शाखा को तयार करित बनना पाठिए।

10. विनाश भूमि दिखात अभिकोष को अनुलग्नापूर्व तैयारित कर नाम कम्या जना ऊपाधि इति उपविधायों के ब्रह्म में विविध ग्रामियों के अन्य सिस्ता पूबी पर नामांच प्राप्त हो जायाँग।

11. राजनीतिक यथा द्वारा सूचित की पोषाध्यायों पर पृथिबित पलाय जताने हेतु मानने में मानने की वांछि इति बुक्ष विविधान करते ते का जायाम एवं ब्रह्म की विधि का नियमित व्यापार करिए।

12. बुक्षों का विचार विनाश वापिस विनाश वापि उज्जैन तथा मूल्य दर उज्जैन की वनस्पति में ब्रह्म की वाली जानकारी ग्रामियों को दी जानी पाठिए इति भूमि दिखात अभिकोष
की यसूपी में सुधार होगा एवं कुछों को अन्य खेड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्हें एक ही शाखा पर प्रत्येक कुच उद्देश्य हेतु श्रेणी उपलब्ध हो सकेगा।

9.4 जनव्रतिनिधि कंगालको सहित सर्व के विधार :-

मूर्ति विकास अधिकोष एवं सहकारी संगठन है जिसके संस्थाल के लिए प्रत्यक्ष मतदान व्यावहार संपालक मण्डल का गठन किया जाता है।

राजनीतिक कार्यक्ताओं के श्रेणी प्रकरण की स्वीकृति हेतु अनेक बार अधिकोष आगे आते हैं तथा उनके अधिकोष की कार्यवाही तथा भूमिका परिवर्तित होते हैं।

संस्थालों के पुनाव में सामान्यतः राजनीतिक राजनीतिक एवं राजनीतिक दलों के कार्यक्ताओं के भी माये लेते हैं। इत्यादि मूर्ति विकास अधिकोष की कार्यवाही के तनाव में चलने के विकास के दौरान के साथ राजनीतिकों के प्रत्यक्ष तपशी एवं विद्यार संकलित प्रतिवेदन नहीं है। जो विवेकनिहित हैं:-

1. संस्थाल मण्डल के अधिकार तीमित हैं जिला अधिकोष व्यावहार श्रेणी प्रकृति करने एवं पुरातन करने के बाद यह आवश्यक नहीं है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मूर्ति विकास अधिकोष उन श्रेणी प्रकरण के तनाव में पुनर्विध उपलब्ध हो रहे हो।

2. संस्थाल मण्डल में शासकीय प्रतिनिधि के व्यायम सहकार संस्थाल कुछ उप/शासक पंजीकृत सहकारी समितियों, उपशासन के जिला ग्रामीण विकास अधिकार का मुख्य अधिकारी आदि संस्थाल मनोनीत होते हैं यह अधिकारी मूर्ति विकास अधिकोष के समान मूर्ति विकास अधिकोष के श्रेणी में अधिकोष के दौरान के प्रति सामान्यता उदारस्वर ही रहते हैं। केवल शासकीय भारतीय का निर्धारण करने के उद्देश्यत है सभी-शक्ति एवं अधिकारी के अन्य व्यक्तता विवादात्मक अने अधिकार की समान में उपस्थित होने के के तर होते हैं।
4. तरकारी क्षेत्र का अधिकोष होने के बाक़ू भी ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे भूमि प्रिकास अधिकोष एक तरकारी कार्यालय है जहाँ से रुपन प्राप्त करना एक अत्यंत हदीन और हार्दिक कार्य हो। इसके कर्मचारियों में कार्य के पृथि उत्तराण का सबसे अधिक है।

5. त्रेकटर व ट्रेस्टर से सम्बन्धित रुप स्वीकृत करने का अधिकार रुप समर्थन को नहीं है। ऐसी प्रतिवेदन में जिला भूमि प्रिकास अधिकोष की स्वायत्तता पर प्रमाण प्रदान लगा जाता है। इन रुपन प्रकाशों को जिला भूमि प्रिकास अधिकोष केवल राज्य सरकारी मीडिया प्रकाश को रुपसूकृत हुए अवस्थित कर सकता है। इससे जिला सरकारी अधिकोष को उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रतिवेदन रुप से प्रमाणित होती है। अपितु रुपन को मूल रुप से प्राप्त होने में मिल्ला होता है।

6. जिला भूमि प्रिकास अधिकोष राज्यस्तरीय अधिकारियों को ध्यान में रखो। ऐसा राज्यस्तरीय कृषि एवं ग्रामीण प्रिकास बैनर जिला कृषि अधिकारी से स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार रुपन किए अन्य उद्देश्य रुप से प्राप्त समाप्त हो जाता है। ऐसे स्थिति में इनका रुपन को लाभ पहुँचाने का उद्देश्य ही समाप्त होता है।

7. जिला भूमि प्रिकास अधिकोष द्वारा प्रमं.पावर डिलर, आदि के संबंध में कुछ ब्रांड नाम विविधित कर दिये जाते हैं। इन ब्रांड नामों के अतिरिक्त यदि कृषि किसी अन्य कंपनी के कृषि शंभर खरीदना चाहिए है तो ऐसी स्थिति में उसे भूमि प्रिकास अधिकोष के रुप प्राप्त नहीं होता है।

8. जिला भूमि प्रिकास अधिकोष केवल रुप से प्राप्त करता है। कृषि उपज के विविध अधिकारों के अधिकार के द्वारा रुपन की सहायता प्राप्त होती है। अतः जिला भूमि प्रिकास द्वारा जिला भूमि प्रिकास अधिकारों के अधिकार अन्य मामलों पर आपूर्ति प्रदान है और रुपनु होने के लिए प्रतिबंध है।

9. एक तरफ परिवर्तन में भूमि प्रिकास अधिकोष कृषि यंत्र रुप प्राप्त रुप से उपलब्ध करता है किन्तु इन यंत्रों की महत्वपूर्ण रखरखाव कल्पना की उपलब्धता के तनावों में बैनर द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती है कि ऐसी
स्थिति में तामान्यता: कुछों के कृषि वन्य बार-बार निम्नलिखित रहते हैं तथा कृषि कार्य को काराराम दंग से प्रभावित करते हैं। कुछ कुछ रहे छात्र अनेक में हाराम होता है और कुछ बार उन्होंने खिलावन पर पुरातात्विक महत्त्व की वसु की माँट के शोमायमान है।

10. नावार्ड व्यारा उद्देश्यवार श्रेण हेतु निर्धारित [पूर्विक वास्त] इकाई नागत अत्यंत व्य के व्यवहारिक स्वभाव के इत लाभ तथा कृषि के श्रेण प्राप्त करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। परिषागत व्यक्ति कृषि के व्य के दलीया की प्रक्रिया में अधिकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए नवीन का निर्माण हेतु 17600/- उपलब्ध होते जा सकते हैं जबकि का निर्माण की लागत तामान्यता: 20 से 25 हजार स्थैर आती है।

जन्मुक्तिनिदिही हेतु दिये गये सुझाव :-

प्रजासत्तात में जन्मुक्तिनिदिही की आवाज को जनता की आवाज माना जाता है जन्मुक्तिनिदिही एवं संवादकों को मूलम विकास अधिकार की कार्यवाही में अपने दलीय शक्तियों का हानि होता है अतः इन जन्मुक्तिनिदिही तथा समय शक्ति के उस्तादतर्क हस्ते में मूलम विकास अधिकार को हेतु सुझाव सुधार निर्मित किये गये हैं।

जन्मुक्तिनिदिही व्यारा दिये गये सुझाव सुधारित है :-

1. संज्ञालंब मंदिर व्यारा स्वीकार कृति में विकास अधिकार व्यारा उन्नतिवार स्वभाव से की जाना चाहिए।

2. शासकीय प्रतिनिधि संवादकों के मूलम विकास अधिकार की कार्यवाही तथा आयोजित करने के पूर्व तथा परीक्षण तथा संस्करण में पूर्व स्वीकृती प्राप्त की जाये। इससे तामानात में तभी शासकीय प्रतिनिधि उपराढ़ हो रहेंग। शासन के माँग के शासकीय प्रतिनिधियों की मांग में उपराढ़ होकर उन्नतिवार किया जा तहत है।
3. यदि आदर-प्रेम के साथ कम पृथक्कों का संगठन करने का नियम बनाया जाये तो तत्त्वात्मक संख्या स्थापित कर निविष्टत समय तीमा में कुछ को कृष्ण हाथ जो उसके करने जाये।

4. अधिकार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा गरें वतन आदि में अधिकार कर अधिकार के कार्य की सूची स्था तट से तमामाधिक रहने हेतु अभिपूर्तित किया जाये। जिसके कर्मचारी कुछों के कार्य को सहायक अधिकार के वातावरण में अपनी सहयोगी साथी मानने लेंगे।

5. मूम्ब मिलात अधिकार को पूर्ण स्वातंत्रता प्रदान की जाये। टेस्टर उनके पूछतांत्रय का तथ्य विचारण एवं धन वितरण कार्य भी जिला मूम्ब मिलात अधिकार के कार्य के माध्यम से स्वीकार जाये इसमें कुछों को समय पर धन उपलब्ध हो सकेगा।

6. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक [नाबादू] को जिला मूम्ब मिलात अधिकार की योजनाओं को स्वीक्षित करने की अनिवार्यता होनी चाहिए। उन्ही धन कृषि जिला अधिकार को ही करना पहला है उनके मुताबिक जिला मूम्ब मिलात अधिकार योजना बनायेगा जो जिले की परिस्थितियों के अनुसार हो और उस योजना में धन दृष्टि की अथवी तमामता हो।

7. कुछों को स्वतंत्र अन्तर्गत कृषि जिलों को धन करने का पूर्त दी जाये इससे कुछ अधिक तनुष्कृत होने एवं धन की वापसी हेतु अभिपूर्तित हो।

8. कुछों को सहयोगी विशेष तमामतियों गठन में मूम्ब मिलात अधिकार के अधिकारियों को मदद देनी वाहिक इससे उपजा का उपनिषद मूल्य कुछों को प्राप्त होगा, वे ताधाराओं व मध्यगर्दितों के गोष्ट से बन तों से मूम्ब मिलात अधिकार के धन को वापस करने में सहयोग हो जायेगा।
9. कुछ तथ्य केन्द्रों एवं कृषि वन्यां के अधिकारी द्वितीयों से कृषि वन्यां के उद्घाटन तथा मरम्मत हेतु अधिकार को आवश्यक बदलना योग्य इत्यादि कुछ के वन्य कर्म गर्दिर रहें और कुछ वन्य वापसी करने में सहाय होंगे।

10. उद्घाटन वन्य केन्द्र छठी शाखा [यूनिट कास्ट] का नियुक्त प्रत्येक 5 माह में किया जाना योग्य है। इसके चलाने का प्रयास वन्य प्राप्त करने तथा वन्य के उद्धार करने पर नियमांकन लगाया जा सकता है।

9.5 प्रशासन वर्ण के विषयः --

पिला मूमिन विकास अधिकारी के संपादक मंडल में निम्नलिखित शातीर्थी प्रतिनिधि भी पदने संपादक होते हैं। 1. उप/सहायक संपादक कृषि, 2. उप/सहायक पर्यावरणीय तलाशियों, 3. पिला ग्रामीण विकास अधिकारी का मुख्य अधिकारी, 4. पिला प्रशिक्षक का प्रतिनिधि डिप्टी/स्टीशन कोलेक्टर।

उपर्युक्त तमी पदने संपादकों को इस वर्ण में ग्रामिल किया है। संपादक के वर्ण में यह अधिकारीगण भौमिन विकास अधिकारी के कार्यों में युक्त हैं तथा ही उपर्युक्त तालाबों तथा फसलीया के पात्र इन अधिकार की समस्याओं एवं राजस्वाधीनता के सन्दर्भ में कुछ तपाय होते हैं।

इस वर्ण के विवादों के भान के अभाव में कोई भी निकाय हास करना तमाम आदेश नहीं हो सकता है अतः इस वर्ण के विवादों को संकलित कर निम्न लिखित में स्पष्ट किया गया है।

10. मूमिन विकास अधिकारी के संपादक मंडल में शातीर्थी प्रतिनिधियों को मंडल के विकास प्राप्त करने हेतु ऐसी रिपोर्ट में यदि निर्धारित संपादक कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं जिसका विरोध शातीर्थी प्रतिनिधि करता रहते हैं तो भी प्रस्ताव पारित हो जाता है। मनोनीति प्रतिनिधि बैठक
अपनी आदेशता कर्य करवा तख्त है।

2. संयंत्र मण्डल को निर्णय निहने में पूर्ण रूपमता प्राप्त नहीं है ट्रेकर, हंगार आदि के श्रेणी प्रकरणों को स्वीकृति संयंत्र मण्डल पुढ़ाना नहीं वर तख्ता है यह अधिकार म.प्र.भूमि विकास अधिकोष में निहित है।

3. भूमि विकास अधिकोष के विलियम तापन तीमित है तथा ही गत वर्ष के श्रेणि अधिकोष के 2/4 तक ही स्थापना चयन करने का नियम उपविविधाओं में दिया गया है। यही स्थिति में नये कर्मचारियों की मदद के लिए, पुराने कर्मचारियों को प्रतिशत उदिया, आरक्ष देना रखे मते आदि की तृप्ति लेवायुक्तों को दिया जाना तख्त नहीं है। परिशिष्टक्त अधिकोष के कर्मचारियों की कार्यक्षुलता एवं कार्य क्षमता प्रतिशत व्यत के प्रमाणित होती है।

4. भूमि विकास अधिकोष जनता के निषेध स्तरांकर नहीं करता है जब: इसके पात विलित का हेमेशा आत्मविरोध बना रहता है। आय प्राप्त का मुख्य तौर पर खान है जो कि श्रेणि की बहुती रह निर्देश करता है। तथा विलियम निर्माण ने तम्बाम हेमेशा विलित की कमी की तमथा इंडेक्स बाये खरी रखती है।

5. जकल भूमि विकास अधिकोष को उपलब्ध पुनरीक्षण का खान दर एवं श्रेणि प्रति बाजार की जाने दाती खान दर में बेंग 2/4 से 3/4 का मार्जिन है। बेंग के कायम एवं ख्यात को देखते हुए यह खान मार्जिन उत्थन है।

6. जरुर स्थानिक ग्रांथि तथा [[डिक्वेयर]] कुरियों आदेश के फ्राइर्क्यन में बताया के कारण भूमि विकास अधिकोष की प्रत्येक प्रतिशत प्रमाण प्रदाता है। कुरियों आदेश के फ्राइर्क्यन में विलम्ब अन्य कुश्कि को भी श्रेणि विकल्प पुढान करने के लिए खरीदारी किया है।
7. मुल्यांक की नियुक्ति मध्यमें राज्य तहसील मूमिन विकास अथवा ध्यान देने वाली को जाती है। मुल्यांक का कार्य क्षेत्र व्यापक होने के कारण कुछ जातानी से मुल्यांक के साथ स्थापित नहीं कर सकते हैं। मुल्यांक व्यारा मूमिन बन निरीक्षण शिक्षा बिना प्रमुख, उपाध्यक्ष, सरकारी नियंत्रण के प्रश्न पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः मुल्यांक अर्थव्यवस्था के लिए अन्तर्गत विकल्प होता है। मुल्यांक के बारे में व्यक्तित्वों के करण श्रेणी क्षेत्र प्रश्न प्रश्न अनुसूची तो होता है। अतः उस पर विना मूल्यांक के नियम नियामक का अभाव रहता है। प्रति: अधिकोश की छात्री तेंदुए प्रमाणित होती है।

8. राजनीतिक दरों द्वारा गुनाह के पूर्णांक आम तौर पर निर्धारित किये जाते हैं। ये घोषणाएं कुछ को मानसिकता की प्रमाणित करती है। यह जाति श्रेणी के पुरी कारण-वाद हो जाते हैं इन घोषणाओं के परिणाम स्वरूप अधिकोश की अन्तर्गत कृष्ण हो जाते हैं।

9. जिला, तहसील एवं विकास खंड स्तरीय राजनीतिक अधिकोश के संगठन बने हुए गुनाह लगते हैं। ये राजनीतिक अधिकोश में बार-बार कुछ एवं प्रतिनिधि के लिए आते जाते रहते हैं तारांनयत: इन नेताओं को बिंदी दरिद्र राजनेता का संरक्षण प्राप्त होता है जिससे ये अधिकोश के श्रेणी वितरण एवं श्रेणी दूसरी का प्रमाणित करते हैं।

10. जिला तहसील मूमिन विकास अधिकोश के नामांक, मध्यप्रदेश राज्य तहसील मूमिन विकास अधिकोश एवं हंगाम तहसील तम्मिलान्तों के उद्देश्य एवं निदेशों का पालन करना होता है इस तरह राखा पुर्णांक एवं जिला अधिकोश के उद्देश्य देखते हल निदेशों का पालन करने में ही अपना तामाय द तिशित व्यय करते रहते हैं जिससे अधिकोश की बार्कामता एवं तेंदुए की पुण्यता प्रमाणित होती है।
10. उप वितरण के परिणाम सत्ता निरीक्षण के अंतर्गत में उप के उपयोगी-करण की स्थिति तदेक्त संदर्भों रहती है । पूर्व अपनी दूरदेरी के बीत या वन दिखाव दुर्भाग्य भाग में सभी हो जाते है । उसी स्थिति में उप का हृदयफोट होना अनखररमादी हो जाता है ।

प्रशासक वर्ण के तस्वीर -

प्रशासक वर्ण में भूमि विवीर्त अभिकोष के कार्यों से पृथक बनने ते जुड़ा रहता है प्रशासकीय, सामूहिक नियंत्रक विवीर्त अभिकोष के उच्च अधिकारी अभिकोष की कार्यप्रणाली तथा समस्त प्रवृत्तियों से भू-भूषित परिवर्तन होते है जब यह वर्ण के तस्वीरों को संबंधित किए जिनमें वह ते योग्य गुण्य दृष्टा रह जाता है । उस वर्ण ने संबंधित हृदयफोट हीन्निरार्थित है :-

१। शासन व्यवस्था भूमि विवीर्त अभिकोष के दूर भूमि नियंत्रक अधिकारियों को तंत्राळक मण्डल की वेतन में मतदान करने का अधिकार । दिया जाने का प्रावधान आर्थिक उपवेशनों में किया जाना चाहिके । उससे राजनीतिक दर्शन पर नियन्त्रण लग लेना ।

२। तंत्राळक मण्डल की दृष्टि, प्रमाण आदि के उप-प्रदर्शणों में भी स्नेह ते व्यापार अधिकार होना वांछित । तंत्राळक मण्डल के अधिकारों में प्रवृत्त ते भूमि प्रक्रिया में होने वाले नियम ने नियन्त्रित किया जा लेना ।

३। भूमि विवीर्त अभिकोष को मुझ भूमि उद्योग के 5% के बराबर राशि रथापना व्यय हेतु उपलब्ध होनी वांछित । भूमि प्रदेशक राजनीतिक भूमि विवीर्त अभिकोष के व्यापार मार्गों के कम कर यह मार्गित मार्गदर्श, जिसका मुझ विवीर्त अभिकोष को दी जानी वांछित । वित्तीय गुरु चुन ने ते तेजुमार्कों की आवश्यक तुलनामात्रा उच्च, धन के रूप में आदि उपलब्ध कराए जा तेज़ी । जिसे तेजुमार्कों की कार्यस्थल में निर्भर उद्धित होगी ।

४। भूमि विवीर्त अभिकोष को मुझ भूमि रूप से जनता ते जननियों व्यक्ति करना वांछित । इससे भूमि बाजार दर पर वित्त उपलब्ध हो केवल वित्तीय
राष्ट्रीय बैंक [नाबाली] का लाभ पर वित्तीय उपलब्ध कराना वास्तव: यह वित्तीय तीव्र विला भूमि विकास अधिकोष की ताक का हानि के रूप में निर्देशन कार्य करती है। इत्यादि, जिसे अधिकोष का लाभ पर वित्तीय उपलब्ध होगा एवं क्षेत्र को भी का लाभ दर पर श्रेणी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सहायता भूमि विकास अधिकोष व्यापार कर्मचारी ने निर्देश जाने वाले व्यापार स्थानों के साथ साथ विकास अधिकोष की तमाम के लिए प्रदर्शन कर सकता है।

भूमि विकास अधिकोष का लाभ पर लाभीय तरीक़ा के अनुसार स्थानीय विभाग के उपर्युक्त/विभाग वैश्विक को महत्त्वपूर्ण पाठकों के अधिकारी से संबंधित किया जाना वास्तविक जिससे व्यक्तियों द्वारा लिखित विधियों के अनुसार तीन से तीन वर्षों की सर्वे और भूमि की विश्वास को बढ़ाती द्वारा पूर्वक सम्मान की जा रही है।

भूमि विकास अधिकोष व्यापार जयवर्धन घोषणा पर सब की जाएँ। मुल्यांकित विला भूमि विकास अधिकोष स्थान के जिसके इन पर स्थिति रखा जा रहा अधिक मूल्यांकित होने तथा बहुत भुमि की जांच की वर्तमान शीर्ष पर तमाम की जा रही है।

राज्य विभाग नवाबी घोषणा पर में कई सुनिश्चित, होटे विलासों की कई माफ, तदस्वरूप माफ को कानून अदालत घोषित करने हेतु शासन तथा गृहचित्र अध्यक्ष के साथ की जाएँ।

राजस्थान विभाग मंडल के गृहचित्र दूर रखने के प्रयासकर्मी जारी हड़ताल में, विधायक तत्समध्य तदन्त को प्रक्रिया के गृहचित्र दूर रखने पर दूर रखने के प्रयासकर्मी व्यापार करने पर इसकी विश्वास विधायक सभा/लोक सभा अध्यक्ष की जाय।

विला भूमि विकास अधिकोष पर लाभीय तरीक़ा कर नियामक हो इतिहास व बाह्य ही स्वतन्त्र उपाधि का पालन होगा तथा जिला/
शाखा उत्पादक के पुरातंत्र कुट्टाता ते कार्य कर लेगें ।

11. पदक्षेपों तथा मूल्यांकनों की तंत्रिता वुढ़ि करके ग्रामीण क्षेत्र का नियमित प्या ते दौरा कर हितादिवारों ते सत्ता तम्बाद रखा जाये इतने वजन का तुल्यांकन करेगा एवं घरेलू की रित्यति में भी तुधार होगा ।